रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18112022-240402 CG-DL-E-18112022-240402

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—अनुभाग 3क

PART II—Section 3A

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 18, 2022/कार्तिक 27, 1944 [खण्ड. XLV No. 1] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 18, 2022/KARTIKA 27, 1944 [Vol. XLV

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

राजभाषा खण्ड

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2022

दि लक्षद्वीप (राइट टु पब्लिक सर्विसेज) रेगुलेशन, 2022 का हिन्दी अनुवाद, राष्ट्रपति के प्राधिकार से, प्रकाशित किया जाता है और राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन, यह हिन्दी में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा:—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

OFFICIAL LANGUAGES WING

New Delhi, the 16th November, 2022

The translation in Hindi of the Lakshadweep (Right to Public Services) Regulation, 2022 is hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative text thereof in Hindi under clause (b) of sub-section (1) of section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963):—

7689 GI/2022 (1)

गृह मंत्रालय

लक्षद्वीप (लोक सेवाओं का अधिकार) विनियम, 2022 (2022 का विनियम संख्यांक 2)

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित ।

लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में पात्र व्यक्तियों को लोक सेवाओं के यथासमय परिदान किए जाने का उपबंध करने हेतु प्रत्येक लोक प्राधिकारी पर बाध्यता अधिकथित करने के लिए और व्यतिक्रम के और तत्संबद्ध या उससे आनुषंगिक विषय के मामलों में शिकायत निवारण तंत्र के लिए विनियम

राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उनके द्वारा बनाए गए निम्नलिखित विनियम को प्रख्यापित करती हैं, अर्थात्:—

अध्याय 1 प्रारंभिक

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस विनियम का संक्षिप्त नाम लक्षद्वीप (लोक सेवाओं का अधिकार) विनियम, 2022 है।
- (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे; और इस विनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी।
- 2. परिभाषाएं—इस विनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (क) "प्रशासक" से संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है;
 - (ख) "अपील प्राधिकरण" से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण अभिप्रेत है:
 - (ग) "परिवाद" से धारा 4 में यथा अधिसूचित सेवाएँ प्रतिदान करने में या लोक प्राधिकारी के कामकाज में किसी विफलता से संबंधित या उद्भूत होने वाली किसी शिकायत के संबंध में एक पात्र व्यक्ति द्वारा किया गया परिवाद अभिप्रेत है किंतु जिसके अंतर्गत लोक सेवक के सेवा मामले से संबंधित शिकायत नहीं है चाहे वह सेवारत हो या सेवानिवृत्त;
 - (घ) "नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी" से धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन लोक प्राधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी अभिप्रेत है:
 - (ड.) "नामनिर्दिष्ट अधिकारी" से ऐसा अधिकारी अभिप्रेत है जिसका नाम सेवा के प्रतिदान के लिए धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित किया गया है;

- (च) "पात्र व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो धारा 4 के अधीन अधिसूचित सेवाऍं अभिप्राप्त करने के लिए पात्र है;
- (छ) "शिकायत निवारण अधिकारी" से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन उसी हैसियत से नामनिर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी अभिप्रेत है:
- (ज) "सदस्य" से धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकारी के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) "अधिसूचना" से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और तद्नुसार "अधिसूचित करना" या "अधिसूचित" पद का अर्थ लगाया जाएगा ;
- (ञ) "विहित" से धारा 29 के अधीन प्रशासक द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;
- (ट) "लोक प्राधिकरण" से सरकार का कोई प्राधिकरण या निकाय या संस्था अभिप्रेत है जिसे निम्नलिखित द्वारा स्थापित या गठित किया गया है–
 - (i) लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में संविधान द्वारा या उसके अधीन ;
 - (ii) संसद् द्वारा बनाए गए किसी अन्य विधि द्वारा :
 - (iii) प्रशासक द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा और इसमें निम्नलिखित भी शामिल होंगे, —
 - (क) प्रशासक द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधि द्वारा स्वामित्व वाली, नियंत्रित या सारभूत रूप से वित्तपोषित निकाय;
 - (ख) प्रशासक द्वारा उपबंधित निधियों द्वारा प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: सारभूत रूप से वित्तपोषित गैर सरकारी संगठन;
 - (ग) संविधान के अनुच्छेद 12 के अधीन यथा परिभाषित "राज्य" के एक माध्यम के रूप में अपनी क्षमता में कोई संगठन या निकाय

कार्पोरेट और लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में लोक उपयोगिता की सेवाएँ प्रतिदान:

- (घ) कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (45) के अधीन यथापरिभाषित कोई सरकारी कंपनी जिसका कोई पब्लिक सैक्टर उपक्रम है:
- (ङ) कोई अन्य कंपनी जो किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम या समय समय पर प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुज्ञप्ति या प्राधिकार के अधीन अधिरोपित बाध्यता के अनुसरण में संघ राज्यक्षेत्र को माल प्रदाय करती है या सेवाएं देती है;
- (iv) संघ राज्यक्षेत्र और किसी निजी इकाई अर्थात् लोक निजी भागीदारी या अन्यथा के बीच किए गए करार या ज्ञापन द्वारा;
- (ठ) "सेवा" से किसी लोक प्राधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले या प्रतिदान किए जाने वाले सभी माल और सेवाएं जिसके अंतर्गत कृत्य, बाध्यताएँ, उत्तरदायित्व या कर्तव्य भी है, अभिप्रेत है;
- (ड) "संघ राज्यक्षेत्र" से लक्ष्यद्वीप संघ राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है।

अध्याय 2

सेवाओं के परिदान का अधिकार

- 3. सेवाओं का अधिकार—इस विनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक पात्र व्यक्ति को सेवाओं के समयबद्ध परिदान और शिकायतों के निवारण का अधिकार होगा।
- 4. प्रशासक द्वारा सेवाओं की अधिसूचना—प्रशासक समय-समय पर उन सेवाओं को, जिन पर यह विनियम लागू होगा और वह समय सीमा, जिसके भीतर सेवाएं प्रदान की जाएंगी अधिसूचित कर सकेगा।
- 5. सेवाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के नाम प्रकाशित करने के लिए लोक प्राधिकारी का दायित्व—(1) लोक प्राधिकारी, धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना के दो मास के भीतर, धारा 4 के अधीन अधिसूचित सेवाओं के दिए जाने के लिए जिम्मेदार नामनिर्दिष्ट अधिकारियों के नाम और पते प्रकाशित करेगा।
- (2) नामनिर्दिष्ट अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर पात्र व्यक्तियों को लोक सेवाएं उपलब्ध करे।

अध्याय 3

शिकायत निवारण अधिकारी

6. शिकायत निवारण अधिकारी—(1) संघ राज्यक्षेत्र में सभी विभागों, प्रशासनिक एककों या कार्यालयों, अधिसूचित क्षेत्रों, पंचायतों और ऐसे अन्य कार्यालयों में, जहां ऐसी रीति में,जो विहित की जाए, सेवाएं को प्राप्त, पूछताछ और पात्र

व्यक्तियों से किसी परिवाद का निवारण किया जाता है, प्रत्येक लोक प्राधिकारी उतने अधिकारियों को, जितने आवश्यक हो नामनिर्दिष्ट करेगी:

परंतु यह कि इस प्रकार नामनिर्दिष्ट शिकायत निवारण अधिकारी उस स्तर का अधिकारी होगा, जो विहित किया जाए।

- (2) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, अपने कार्यालय या अपनी वेबसाइट या ग्राहक सेवा केंद्र या सहायता डेस्क या जन सेवा केंद्र और विक्रय केंद्र पर, यदि कोई हो, और शिकायत निवारण अधिकारी के कार्यालय, शिकायत निवारण अधिकारी का नाम, उसका पता और टेलीफोन नंबर, ई-मेल पता, फैसिमाइल नंबर और उससे संपर्क करने का अन्य साधन, यदि कोई हो, प्रदर्शित करेगा।
- (3) प्रत्येक लोक प्राधिकारी ऐसे क्षेत्रों के लिए उपधारा (1) के अधीन इतनी संख्या में शिकायत निवारण अधिकारी नामनिर्दिष्ट करेगा, जितनी वह आवश्यक समझे, जिससे शिकायत निवारण अधिकारी आसानी से सुलभ हो और जनता की शिकायत के निवारण के लिए उपलब्ध हो।
- (4) जहां परिवादी लिखित में परिवाद करने में असमर्थ है वहाँ शिकायत निवारण अधिकारी मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को, उसे लेखबद्ध करने के लिए, सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।
- 7. शिकायत की उसकी रसीद द्वारा अभिस्वीकृति—शिकायत निवारण अधिकारी, परिवाद की प्राप्ति से तीन कार्य दिवसों के भीतर, प्राप्ति की अभिस्वीकृति, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से या पाठ संदेश के माध्यम से या किसी अन्य साधनों के माध्यम से, जो विहित किया जाए, तारीख, समय, स्थान, अद्वितीय परिवाद संख्या और परिवाद प्राप्त करने वाले की विशिष्टियों को, उस समय सीमा के साथ जिसके भीतर परिवाद का निवारण किया जाएगा, विनिर्दिष्ट करते हुए अभिस्वीकृत करेगा।
- 8. शिकायत निवारण अधिकारी के कर्तव्य—(1) धारा 6 के अधीन परिवाद प्राप्त होने पर, संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चत करे कि—
 - (क) शिकायत का निवारण ऐसे समय के भीतर किया जाए जैसा कि विहित किया जाए;
 - (ख) शिकायत के कारण की पहचान की जाए, शिकायत का संतोषजनक ढंग से निवारण किया जाए और दोषी व्यक्ति की जिम्मेदारी, यदि कोई हो, तय की जाए;
 - (ग) जहां शिकायत किसी व्यक्ति की ओर से कमी, लापरवाही या दुर्भावना के परिणामस्वरूप हुई है, वहां प्रवृत्त नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए; और
 - (घ) जहां शिकायत निवारण अधिकारी को यह विश्वास हो जाता है कि सेवाओं के प्रतिदान के लिए जिम्मेदार नामनिर्दिष्ट अधिकारी ने जानबूझकर सेवा

प्रदान करने की उपेक्षा की है या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अधीन किसी मामले के लिए प्रथमदृष्टया आधार विद्यमान है, वहां शिकायत निवारण अधिकारी इस संबंध में अवलोकन करेगा और उसे लिखित रूप में समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

- (2) शिकायत निवारण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि परिवादी को लिखित में सूचित किया जाए कि उसकी शिकायत का निवारण किस प्रकार किया गया है।
- (3) शिकायत निवारण अधिकारी, ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, ऐसे प्रत्येक परिवाद जिसका निवारण नहीं किया गया है को परिवादी के ब्यौरे, परिवाद की प्रकृति और परिवाद के निवारण के कारणों के साथ धारा 9 में निर्दिष्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

अध्याय 4

नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी

- 9. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, अपने सभी प्रशासनिक एककों और कार्यालयों में उतने अधिकारियों को जितने वह आवश्यक समझे नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करेगा जो धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन उसे निर्दिष्ट शिकायतों की सुनवाई करेगा।
- (2) धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा प्राप्त प्रत्येक परिवाद, ऐसे प्राधिकारी के समक्ष अपील समझी जाएगी।
- (3) कोई व्यक्ति, जो संबंधित शिकायत निवारण अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है या जिसे लिखित में सूचित नहीं किया गया है कि उसके द्वारा फाइल किए गए परिवाद का निवारण किस रीति से किया गया है, ऐसे विनिश्चय की या ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन की अविध की समाप्ति के भीतर, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील कर सकेगा:

परंतु यह कि नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी तीस दिन की समाप्ति के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिवादी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल करने से निवारित हआ था।

- (4) उपधारा (3) के अधीन अपील की प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के भीतर, लिखित में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या पाठ संदेश के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, जो विहित किया जाए, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अभिस्वीकृत किया जाएगा।
- (5) उपधारा (3) के अधीन फाइल की गई प्रत्येक अपील या उपधारा (2) के अधीन समझी गई अपील का निपटान नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा ऐसे समय के भीतर किया जाएगा जो विहित किया जाए।
- (6) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी निर्णय की प्रतियों को संबंधित पक्षों को ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, वितरित करने की व्यवस्था करेगा।

- 10. नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी की अन्य शक्तियां—(1) जहां नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि ऐसी शिकायत जिसका परिवाद किया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के निबंधनों के अनुसार उस अधिकारी के द्वारा जिसके विरुद्ध परिवाद किया गया है, प्रथमदृष्टया एक भ्रष्ट कार्य या आचरण का संकेत करता है या प्रदर्शित करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य को अभिलिखित करेगा जो ऐसे निष्कर्ष के समर्थन में पाए जाए और इसे लिखित में समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।
- (2) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को किसी परिवाद के न्यायनिर्णयन पर निर्देश जारी करने की शक्ति होगी जिसमें लोक प्राधिकारी से संबंधित अधिकारियों को धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे कदम, जो आवश्यक हो, उठाने की अपेक्षा होगी।

अध्याय 5

संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण

11. अपील प्राधिकरण—(1) कोई व्यक्ति जो विहित समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, ऐसी अवधि की समाप्ति से या ऐसे विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर, संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण को अपील कर सकेगा:

परंतु यह कि अपील प्राधिकरण तीस दिन की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि परिवादी पर्याप्त कारण से समय पर अपील फाइल करने से निवारित हुआ था।

- (2) इस धारा के अधीन अपील प्राधिकरण का विनिश्चय बाध्यकारी होगा।
- 12. संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण का गठन— (1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण का गठन करेगा जो उसे प्रदत्त या अधिरोपित शक्तियों का प्रयोग करेगा और इस विनियम के अधीन उसे सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करेगा।
- (2) एक संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण तीन से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगा जो विहित किया जाए।
- 13. अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए अईताएं—कोई व्यक्ति अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के सचिव या प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव या मुख्य सचिव के पद पर या उसके समतुल्य पद धारण करने वाला अधिकारी न हो या ऐसा अधिकारी न रहा हो।

14. अपील प्राधिकरण के सदस्य के निबंधन और शर्तें—

(1) अपील प्राधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अविध के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पूर्वत्तर हो, पद धारण करेगा। (2) अपील प्राधिकरण के सदस्य को देय वेतन एवं भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन एवं शर्ते ऐसी होंगी, जो विहित की जाए:

परंतु यह कि यदि कोई सदस्य अपनी नियुक्ति के समय पेंशन प्राप्त कर रहा हो, जो संघ राज्यक्षेत्र के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में एक नि:शक्तता या विधवा पेंशन से भिन्न हो, तो अपील प्राधिकारी के सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन उस पेंशन की रकम से घटा दिया जाएगा, जिसमें पेंशन समतुल्य या सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी को छोड़कर पेंशन का घटाया गया कोई भाग और सेवानिवृत्ति लाभों के अन्य रूपों में समतुल्य पेंशन सम्मिलित है:

परंतु यह कि जहां कोई सदस्य, यदि उसकी नियुक्ति के समय, किसी राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित निगम में या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के स्वामित्व या नियंत्रण वाली सरकारी कंपनी में की गई पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त कर रहा हो तब सदस्य के रूप में सेवा के संबंध में उसका वेतन सेवानिवृत्ति लाभ के समतुल्य पेंशन की राशि से घटा दिया जाएगा:

परंतु यह भी कि अपील प्राधिकारी के किसी सदस्य की नियुक्ति के पश्चात् न तो वेतन और भत्ते में और न ही सेवा के अन्य नियम और शर्तों में, उसके लिए अहितकर रूप में परिवर्तन किया जाएगा।

- 15. पद-त्याग और पद से हटाया जाना—(1) अपील प्राधिकरण का कोई सदस्य, प्रशासक को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा अपने कार्यालय से पद त्याग कर सकेगा।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक आदेश द्वारा सदस्य को पद से हटा सकेगा, यदि सदस्य—
 - (i) दिवालिया घोषित किया गया है; या
 - (ii) किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमे प्रशासक की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या
 - (iii) अपने पदावधि के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी संदत्त रोजगार में है; या
 - (iv) प्रशासक की राय में, मन या शरीर की दुर्बलता के कारण से पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है ; या
 - (v) ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित करता है जिससे सदस्य के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।
- 16. अपील प्राधिकरण की शक्तियां—(1) अपील प्राधिकरण को, इस विनियम के अधीन अपने कार्यों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित मामलों के संबंध में वही शक्तियां होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के अधीन एक सिविल न्यायालय में निहित शक्तियां होंगी, अर्थात्:
 - (i) किसी भी व्यक्ति को समन करना और उसे उपस्थित कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना,

- (ii) किसी दस्तावेज या अन्य तात्विक वस्तु को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना:
 - (iii) शपथपत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
 - (iv) किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा करना,
- (v) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन नियत करना, और
 - (vi) ऐसे अन्य मामले, जो विहित किए जाएं।
- (2) अपील प्राधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में अधिकथित प्रक्रिया से बाध्य नहीं होगा, किन्तु नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों से मार्गदर्शित होगा और इस विनियमन के अन्य उपबंधों तथा इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन होगा, अपील प्राधिकरण को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने की शक्ति होगी।
- 17. विनिश्चय की प्रतियों का वितरण किया जाना—अपील प्राधिकरण अपने विनिश्चय की प्रतियां संबंधित पक्षों को ऐसे समय के भीतर देने की व्यवस्था करेगा जो विहित किया जाए।
- 18. अपील प्राधिकरण की अन्य शक्तियां—(1) अपील प्राधिकरण को किसी परिवाद के न्यायनिर्णयन पर निदेश जारी करने की शक्ति होगी जिसमें लोक प्राधिकारी को धारा 4 के अधीन जारी अधिसूचना के अनुपालन में सेवाएं प्रदान करने के लिए ऐसे कदम, जो आवश्यक हो, उठाने की अपेक्षा होगी।
- (2) अपील प्राधिकरण का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से परिवाद को प्राप्त करे और उसकी जांच करे—
 - (क) जो नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को अपील प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो ;
 - (ख) जिसे इस विनियम के अधीन शिकायत के निवारण से मना कर दिया गया है:
 - (ग) जिनके परिवाद का निपटारा विनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर नहीं किया गया है; और
 - (घ) जो इस विनियम के अधीन परिवाद या अपील के रजिस्ट्री और निवारण से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में हो।
- 19. सबूत का भार शिकायत निवारण अधिकारी पर होगा—किसी अपील की कार्यवाही में, परिवाद के निवारण नहीं किए जाने को स्थापित करने के लिए सबूत का भार शिकायत निवारण अधिकारी पर होगा जिसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।
- 20. जहां परिवाद की शिकायत, भ्रष्ट आचरण का परिणाम है—जहां अपील प्राधिकरण को यह प्रतीत होता है कि ऐसी शिकायत जिसका परिवाद किया गया है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का 49) के अनुसार, लोक प्राधिकारी के उस जिम्मेदार अधिकारी के भाग पर, जिसके

विरुद्ध परिवाद किया गया है, प्रथमदृष्टया एक भ्रष्ट कार्य या आचरण का संकेत करता है या प्रदर्शित करता है, तो वह ऐसे साक्ष्य को लिखित रूप में अभिलिखित करेगा जैसा ऐसे निष्कर्ष के समर्थन में पाए जाते हैं और लिखित में इसे समुचित प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।

अध्याय 6

शास्ति और प्रतिकर

- 21. शास्ति और प्रतिकर—(1) बिना किसी पर्याप्त और उचित कारण के, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल रहने के लिए शिकायत निवारण अधिकारी या पात्र व्यक्ति को सेवा प्रतिदान करने के लिए जिम्मेदार नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी पर अपील प्राधिकारी या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी शास्ति अधिरोपित कर सकेंगे।
- (2) उपधारा (1) के अधीन नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या शिकायत निवारण अधिकारी पर अधिरोपित शास्ति एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, परन्तु उसका विस्तार दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, जिसे उस अधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा, जिस पर शास्ति अधिरोपित की गई है:

परंतु यह कि, यथास्थिति, संबंधित नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या शिकायत निवारण अधिकारी को इस धारा के अधीन किसी भी शास्ति अधिरोपित करने से पहले सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाएगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने पर, यथास्थिति, अपील प्राधिकारी या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, आदेश द्वारा निदेश दे सकेंगे कि उपधारा (1) के अधीन अधिरोपित शास्ति के ऐसे भाग, जो वह उचित समझे, अपीलार्थी को प्रतिकर के रूप में दिया जाए:

परंतु यह कि ऐसे प्रतिकर की रकम इस धारा के अधीन अधिरोपित शास्ति की रकम से अधिक नहीं होगी।

अध्याय 7

प्रकीर्ण

- 22. रिपोर्ट किए जाने की अपेक्षा—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक शिकायत निवारण अधिकारी इस विनियम के अधीन किए गए परिवाद या अपील और ऐसे परिवाद और अपीलों पर विनिश्चयों का अभिलेख रखेगा।
- (2) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, ऐसी रीति से और ऐसे समय के भीतर, जो विहित किया जाए, एक रिपोर्ट प्रकाशित करेगा, जिसमें —
 - (क) अपीलों और प्राप्त परिवादों की संख्या:
 - (ख) निपटारा की गई अपीलों और परिवादों की संख्या:
 - (ग) लंबित अपीलों और परिवादों की संख्या; और

- (घ) इस विनियम के अधीन अपने कार्यों के निर्वहन के लिए विहित अन्य विवरण, जो विहित किया जाए, का उल्लेख होगा।
- 23. अपील प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी—(1) प्रशासक, अपील प्राधिकरण को, ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों को उपलब्ध कराएगा जो इस विनियम के अधीन उसके कार्यों के दक्षतापूर्ण पालन के लिए आवश्यक हो।
- (2) उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी और कर्मचारी अपील प्राधिकरण के साधारण अधीक्षण के अधीन अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे।
- 24. अपील प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी का लोक सेवक समझा जाना—अपील प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी को भारतीय दंड संहिता, (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझे जाएंगे।
- 25. न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन—िकसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी प्रश्न को निपटाने, विनिश्चय करने या विचार करने या किसी भी मामले को निर्धारित करने का अधिकार नहीं होगा, जो इस विनियम के अधीन शिकायत निवारण अधिकारी या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निपटाए जाने, विनिश्चय किए जाने या विचार किए जाने के लिए अपेक्षित है।
- 26. अपील प्राधिकरण के आदेशों का प्रवर्तन—अपील प्राधिकरण द्वारा किया गया प्रत्येक आदेश उसके द्वारा उसी प्रकार से लागू किया जा सकेगा जैसे वह किसी न्यायालय द्वारा उसमें लम्बित वाद में दिया गया कोई डिक्री या आदेश हो और अपील प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इसे निष्पादित करने में असमर्थता की दशा में, आदेश ऐसे न्यायालय को भेजेगा, जिसकी अधिकारिता की स्थानीय सीमा के भीतर—
 - (क) जहां लोक प्राधिकारी खंड (ख) और खंड (ग) के अधीन नहीं आता है, वहां वह स्थान, जहां ऐसे लोक प्राधिकारी का मुख्य कार्यालय स्थित है; या
 - (ख) आदेश कंपनी के विरुद्ध होने की दशा में, जहां कंपनी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है; या
 - (ग) आदेश किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध होने की दशा में, जहां संबंधित व्यक्ति स्वेच्छा से रहता है या व्यवसाय करता है या व्यक्तिगत रूप से लाभ के लिए काम करता है, और तदुपरि, जिस न्यायालय को आदेश भेजा जाता है, वह आदेश को ऐसे निष्पादित करेगा जैसे वह एक डिक्री या निष्पादन के लिए उसको भेजा गया आदेश है।
- 27. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण— किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही—

- (क) इस विनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए; या
- (ख) सेवा प्रदान करने में विलंब होने पर या सेवा प्रदान करने में सक्षम नहीं होने पर, जहां ऐसा विलंब या अक्षमता युक्तियुक्त कारण से सेवा के परिदान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के नियंत्रण से परे है।
- 28. विद्यमान विधियों के अतिरिक्त उपबंधों का होना— इस विनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त विधि के अतिरिक्त होंगे न कि उसके अल्पीकरण में होंगे।
- 29. नियम बनाने की शक्ति—(1) प्रशासक, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस विनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए, ऐसे नियम बना सकेगा जो इस विनियम से असंगत न हो।
- (2) विशेष रूप से और पूर्वगामी प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी मामले के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात:—
 - (i) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन परिवादों की प्राप्ति, रीति, जांच, निवारण और शिकायत निवारण अधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अधिकारी का स्तर;
 - (ii) धारा 7 के अधीन प्राप्त शिकायतों की अभिस्वीकृति की रीति, शिकायत प्राप्त करने वाले के ब्यौरे और शिकायत के निवारण के लिए समय सीमा;
 - (iii) वह समय, जिसके भीतर उपधारा (1) के अधीन शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतों का निवारण किया जाएगा और वह समय, जिसके भीतर वह उन परिवादों, जिनका निवारण धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन नहीं किया गया है, की रिपोर्ट नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी को करेगा:
 - (iv) धारा 9 की उपधारा (4) के अधीन अभिस्वीकृति के अन्य साधन, वह समय, जिसके भीतर धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन अपील का निपटारा किया जाएगा और वह समय, जिसके भीतर निर्णय की प्रतियां धारा 9 की उपधारा (6) के अधीन वितरित की जाएगी;
 - (v) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन वह समय, जिसके भीतर नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित पक्षों को निर्णय की प्रतियां वितरित करेगा;

- (vi) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण के सदस्यों की संख्या:
- (vii) धारा 14 की उपधारा (2) के अधीन संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण के सदस्य को देय वेतन और भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें:
- (viii) अन्य मामले, जिनके लिए संघ राज्यक्षेत्र अपील प्राधिकरण को, धारा 16 की उपधारा (1) के खंड (vi) के अधीन सिविल न्यायालय की शक्ति होगी;
- (ix) धारा 17 के अधीन वह समय, जिसके भीतर अपील प्राधिकरण संबंधित पक्षों को अपने निर्णय की प्रतियां वितरित करने की व्यवस्था करेगा
- (x) धारा 22 की उपधारा (2) के अधीन वह रीति और वह समय, जिसमें लोक प्राधिकारी एक रिपोर्ट और लोक प्राधिकारी के कार्यों के निर्वहन के लिए अन्य ब्यौरे प्रकाशित करेगा;
- (xi) कोई अन्य मामला जो इस विनियम के अधीन नियमों द्वारा उपबंधित किया गया है या किया जा सकता है।
- (3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
- 30. किताई को दूर करने की शक्ति—यदि उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कितनाई उत्पन्न होती है, तो प्रशासक, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, कितनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध बना सकेगा जैसे उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होते हों, जो इस विनियम के उपबंधों से असंगत न हों:

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस विनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा।

> अगस्तुस केरकेट्टा, अपर विधायी परामर्शी